



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 750 राँची, मंगलवार
28 अग्रहायण, 1945 (श०)
19 दिसम्बर, 2023 (ई०)

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तकनीकी शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

17 अगस्त, 2021

विषय :- व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थानों में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त) छात्रों को Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices के रूप में प्रशिक्षण देने के संबंध में।

संख्या-765--व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र (BOPT, ER), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत शिक्षु अधिनियम 1961 यथासंशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) में निहित प्रावधानों के आलोक में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त छात्रों को एक वर्ष के लिए विभिन्न Apprentices Scheme अन्तर्गत एक वर्ष हेतु प्रशिक्षण दी जाती है। कई राज्यों में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा डिप्लोमा संस्थानों के उत्तीर्ण छात्रों को एक नियत छात्रवृत्ति देकर एक वर्ष के लिए क्रमशः Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices के रूप में प्रशिक्षण दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसी

स्थिति हमारे राज्य में भी इस व्यवस्था को लागू करने का आग्रह Board of Practical Training (Eastern Region) द्वारा किया जाता रहा है ।

2. इस अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु, डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त छात्र, जो National Apprenticeship Training Scheme (NATS) के Portal (www.mhrdnats.gov.in) पर पंजीकृत करना होता है और चयन के उपरांत आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही, संबंधित अधिनियम के तहत संस्थानवार कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम 10% तक की संख्या में चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान था, जिसे संशोधित कर यह अधिकतम संख्या तय करने की छुट अब नियोक्ता को दे दी गयी है ।
3. Apprenticeship (Amendment) Rule, 2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रशिक्षण में छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में डिग्रीधारी छात्रों के लिए रु० 9,000/- प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए रु० 8,000 प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है एवं राज्य सरकार द्वारा भुगतये किये जाने वाली उक्त Stipend की राशि का 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति Board of Practical Training (Eastern Region) द्वारा किया जाने का प्रावधान है । वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित Stipend की राशि काफी कम रहने के कारण भवन निर्माण विभाग, तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार सरकार द्वारा डिग्रीधारी प्रशिक्षु के लिए उक्त तय न्यूनतम राशि रु० 9,000/- प्रतिमाह को बढ़ाकर रु० 15,000/- प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु के लिए रु० 8,000/- प्रतिमाह को बढ़ाकर रु० 10,000 प्रतिमाह किया गया है। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार अपना राज्यांश के रूप में प्रति छात्र डिग्रीधारी प्रशिक्षु को रु० 10,500 (15,000 - 4,500) प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु के लिए रु० 6,000 (10,000 - 4,000) प्रतिमाह दे रही है । Stipend की राशि के संबंध में तालिकावार विवरणी निम्न प्रकार है :-

01. Apprenticeship Rules 1992 as amendment					
in 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रतिमाह भुगतये Stipend की राशि					
डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) के लिए देय राशि			डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए देय राशि		
BOPT (Eastern Region) द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	कुल राशि (रु०)	BOPT (Eastern Region) द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	कुल राशि (रु०)
4500	4500	9000	4000	4000	8000
बिहार सरकार के अनुरूप प्रतिमाह भुगतये Stipend की राशि रु० 9000/- को बढ़ाकर रु० 15,000/- तथा रु० 8000/- को बढ़ाकर रु० 10,000/- करने की स्थिति में					

डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) के लिए देय राशि			डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए देय राशि		
BOPT (Eastern Region) द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	कुल राशि (रु०)	BOPT (Eastern Region) द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	कुल राशि (रु०)
4500	10500	15000	4000	6000	10000

4. राज्य के प्रत्येक राजकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शाखावार प्रयोगशाला / कर्मशाला / पुस्तकालय की व्यवस्था की गयी है और इसके लिए प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशक तथा लाइब्रेरियन जैसे Supporting Staff के पद सृजित हैं। परन्तु, इनमें से अधिकतर पद विगत कई वर्षों से रिक्त रहने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इन रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने में अभी काफी समय लगने की संभावना है। साथ ही, विभागीय संकल्प सं० 2890 दिनांक 11.12.2015 के आलोक में संस्थानों के ऐसे रिक्त पदों पर बाह्य स्रोत से Technical Supporting Staff प्राप्त करने हेतु कई बार एजेंसी चयन के लिए निविदा प्रकाशन के बाद भी योग्य प्रतिष्ठान का चयन आज तक नहीं हो पाया है। इसलिए यदि झारखण्ड राज्य में भी यहाँ के वैसे छात्र जो राज्य के विभिन्न राजकीय तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के प्रयोगशालाओं/कर्मशालाओं/पुस्तकालयों के लिए क्रमशः प्रयोगशाला सहायक, अनुदेशक तथा लाइब्रेरियन के पद हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हों, उनका उपरोक्त Apprentices Scheme अन्तर्गत चयन कर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसे चयनित प्रशिक्षु अभ्यर्थियों के जहाँ एक ओर व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में भी यह सरकार का एक सराहनीय प्रयास माना जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान ऐसे प्रशिक्षु छात्र उस संस्थान में अतिरिक्त Supporting Staff के तौर पर भी उपलब्ध होंगे।
5. वर्तमान में 04 नये पोलिटेकनिक संस्थानों यथा रा०पो० सिमडेगा, साहेबगंज, जगन्नाथपुर तथा रा०म०पो०दुमका में शिक्षकों का AICTE के नियमानुसार तथा शिक्षकेतर कर्मियों का संस्थानिक शाखाओं के आधार पर पद का सृजन किया गया है, परन्तु पूर्व से संचालित कई संस्थानों हेतु पदों का सृजन उक्त नियमानुसार नहीं होने के कारण पूर्व से संचालित सभी 13 पोलिटेकनिक संस्थानों तथा अभियंत्रण महाविद्यालय के पदों का Re-structuring का कार्य किया जा रहा है।

ऐसी स्थिति में सभी पोलिटेकनिक संस्थानों तथा अभियंत्रण महाविद्यालय में पढाये जाने वाले शाखाओं को ध्यान में रखते हुए डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) तथा डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) की कुल संख्या का आकलन निम्न तालिकानुसार है :

	प्रति संस्थान प्रशिक्षुओं की संख्या	सभी संस्थानों हेतु प्रशिक्षुओं की कुल संख्या
अभियंत्रण महाविद्यालय हेतु (क)	01. शाखावार दो डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) 02. शाखावार दो डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices), 03. विषय Library & Information Science के डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) - छः	राज्य के एक मात्र राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में पढाये जाने वाले 10 शाखाओं के अनुसार कुल प्रशिक्षु की संख्या : 01. डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) = $02 \times 1006 = 26$ 02. डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) = $02 \times 10 = 20$
पोलिटेकनिक संस्थानों हेतु (ख)	01. शाखावार एक डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) 02. शाखावार दो डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices), 03. विषय Library & Information Science के डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) - चार	राज्य के कुल सत्रह (17) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में पढाये जाने वाले 67 (सभी शाखाओं का योग-67) के अनुसार कुल प्रशिक्षु की संख्या : 01. डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices)= 01×67 $04 \times 17 = 135$ 02. डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) = $02 \times 67 = 134$
सभी संस्थानों हेतु= (क ख)	डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) = 26 डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) = 20	$135 = 161$ $134 = 154$

अर्थात् प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कुल 161 डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) तथा 154 डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु को Technician Apprentices अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा (परिशिष्ट 'क') । इसके तहत अध्ययनरत छात्र को प्रयोगशाला एवं कर्मशाला में बेहतर सुविधा प्राप्त होगी तथा शैक्षणिक माहौल बेहतर होगा । पुस्तकालय का दैनिक कार्य करने में सुविधा होगी ।

डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) के लिए		
राज्य अंतर्गत एक अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 17 पोलिटेकनिक संस्थानवार शाखाओं का कुल योग (A)	राज्य में संचालित कुल 01 अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 17 डिप्लोमा संस्थानों के अनुसार डिग्रीधारी प्रशिक्षु की संख्या (B)	देय राशि 10,500 प्रति माह प्रति प्रशिक्षु के अनुसार कुल राशि (वार्षिक) = $B(161) \times 10,500 \times 12$
77	161	Rs. 2,02,86,000/-
डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए		
राज्य अंतर्गत एक अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 17 पोलिटेकनिक संस्थानवार शाखाओं का कुल योग (A)	राज्य में संचालित कुल 01 अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 17 डिप्लोमा संस्थानों के अनुसार प्रशिक्षु की संख्या (C)	देय राशि 6,000 प्रति माह प्रति प्रशिक्षु के अनुसार कुल राशि (वार्षिक) = $C(154) \times 6,000 \times 12$
77	154	Rs. 1,10,88,000/-
161 डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) तथा 154 डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए कुल प्रति वर्ष संभावित देय राशि तीन करोड़ तेरह लाख चौहत्तर हजार रुपये मात्र		Rs. 3,13,74,000/-

6. इस व्यवस्था के लागू करने की स्थिति में राज्य पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय अधिभार की गणना निम्न प्रकार है :-

7. अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि :-

- व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थानों में उत्तीर्ण (डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त) राज्य के छात्रों को Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices के रूप में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था झारखण्ड राज्य में भी लागू होगी ताकि इससे 161 डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) तथा 154 डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) को Stipend की राशि के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिल सके।

- ii राज्य के कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में इस संबंध में मार्च माह में ही सूचना प्रकाशित कर तकनीकी संस्थानों से विगत दो शैक्षणिक सत्रों में उत्तीर्ण छात्र, जो National Apprenticeship Training Scheme (NATS) के Portal (www.mhrdnats.gov.in) पर पंजीकृत हों, उनसे आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदकों के प्राप्तांक और राज्य में लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन करते हुए निदेशक (तकनीकी शिक्षा) की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा प्रशिक्षु अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। इस चयन में राज्य के छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।
 - iii डिग्रीधारी प्रशिक्षु के लिए प्रति प्रशिक्षु छात्रवृत्ति रु० 15,000/- प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि रु० 10,500/- शामिल है तथा डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए कुल छात्रवृत्ति रु० 10,000/- प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि रु० 6,000/- शामिल है, दिया जायेगा। प्रति माह छात्रवृत्ति की अवशेष राशि यथा- डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु रु० 4500/- एवं डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु रु० 4000/- की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) से प्राप्त होगा।
 - iv इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय रु० 3,13,74,000/- (तीन करोड़ तेरह लाख चौहत्तर हजार रुपये मात्र) का वहन विभाग के राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा, लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण, उप शीर्ष-A7- प्रशिक्षण एवं विकास, संस्थानीय नेटवर्किंग और सहयोग मद के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।
8. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
 9. प्रस्ताव पर योजना प्राधिकृत समिति की बैठक दि० 27.07.2021 की कार्यवाही ज्ञापांक- रा० यो० प्रा० 70 दिनांक 02.08.21 द्वारा स्वीकृति दी गयी है।

झारखण्ड राजपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्या सचिव।

परिशिष्ट - क

Number of Graduate Apprentices and Technician Apprentices based on institutional branch

Sl. NO.	Name of the Institute as approved by AICTE	Name of the Branch	AICTE Approved Seat	No. of Graduate trainee: Ins. Wise(01/ branch for Polytechnic ins. & 02/ branch for Engg. Collge)	No. of Graduate trainee: for library (04 for each Polytechnic ins. & 06 for Engg.Collge)	No. of Diploma trainee: Ins. Wise(02/ branch for Polytechnic ins. & 02 / branch for Engg. Collge)
1	Government Polytechnic, Ranchi	Electrical Engg	60	05	04	10
		Civil Engg.	60			
		C.S.E.	60			
		E.C.E.	60			
		Mechanical Engg.	60			
		Total	300			
2	Government Polytechnic, Dhanbad	Civil Engg.	60	05	04	10
		Electrical Engg.	60			
		Mechanical Engg.	60			
		C.S.E.	60			
		Metallurgical	60			
		Total	300			
3	Government Polytechnic, Nirsa, Dhanbad	Mining Engg	60	03	04	06
		Civil Engg.	60			
		Mechanical Engg	60			
		Total	180			
4	Government Polytechnic, Dumka	Civil Engg.	60	04	04	08
		Electrical Engg.	60			
		C.S.E.	60			
		Mechanical	60			

		Engg.				
		Total	240			
5	Government Polytechnic, Adityapur	Mechanical Engg.	45	04	04	08
		Metallurgical	45			
		C.S.E.	45			
		Electrical Engg.	45			
		Total	180			
6	Government Polytechnic, Jainamora, Khutri, Bokaro	Mechanical Engg.	60	03	04	06
		Computer Engg.	60			
		Automobile Engg.	60			
		Total	180			
7	Government Polytechnic, Koderma	Mining Engg.	60	03	04	06
		E.C.E.	60			
		Computer Engg.	60			
		Total	180			
8	Government Polytechnic, Bhaga, Dhanbad	Mining Engg.	70	03	04	06
		Food Technology	60			
		Computer Engg.	60			
		Total	190			
9	Government Polytechnic, Latehar	Civil Engg.	60	04	04	08
		C.S.E.	60			
		Electrical Engg.	60			
		Mechanical Engg.	60			
		Total	240			
10	Government Polytechnic, Kharsawan	Computer Engg.	60	03	04	06
		Electrical Engg.	60			

		E.C.E.	60			
		Total	180			
11	Government Womens Polytechnic, Tharpakhna, Ranchi	E.C.E.	60	03	04	06
		Electrical Engg.	60			
		C.S.E.	60			
		Total	180			
12	Government Womens Polytechnic, Gamharia, Jamshedpur	Architecture Assistantship	60	04	04	08
		Mechanical Engg.	60			
		C.S.E.	60			
		E.C.E.	60			
		Total	240			
13	Government Womens Polytechnic, Balidih, Bokaro	C.S.E.	60	03	04	06
		E.C.E	60			
		Electrical Engg	60			
		Total	180			
14	Government Polytechnic, Sahibganj	Civil Engg.	60	05	04	10
		Electrical and Electronics Engg.	60			
		Electrical Engg.	60			
		Mechanical Engg	60			
		Total	240			
15	Government Women's Polytechnic, Dumka	Civil Engg.	60	05	04	10
		Electrical and Electronics Engg.	60			
		Total	120			
16	Government Polytechnic, Simdega	Civil Engg.	60	05	04	10
		Electrical and Electronics Engg	60			

		Electrical Engg.	60			
		Mechanical Engg.	60			
		Total	240			
17	Govt. Polytechnic, Jagannathpur	Civil Engg	60	05	04	10
		Electrical and Electronics Engg.	60			
		Electrical Engg.	60			
		CSE	60			
		Mechanical Engg.	60			
		Total	300			

1	BIT Sindri, Dhanbad	Chemical Engg.	91	20	06	20
		Civil Engg.	98			
		C.S.E.	38			
		Electrical Engg.	99			
		E.C.E	52			
		I.T	40			
		Mechanical Engg.	105			
		Metallurgical Engg.	54			
		Mining Engg.	49			
		Production Engg.	54			
		Total	680			
Total				87	74	154
				161		
